# राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/2011 से 3/2015

## भाग एक

### 1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के पश्चात नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क प्राप्त हो चुका है) |
| 2 | पैरा–4 | निर्णीत | (वित्तीय स्थिति पैरा पुनः प्रारूपित) |
| 3 | पैरा–5 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–6 (1) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–6 (2) | निर्णीत | (राशि छात्र कल्याण निधि से निकालकर दिनांक 4.8.15 को सम्बन्धित निधि खातों में जमाकर दिया गया) |
| 6 | पैरा–7 (1) | निर्णीत | (₹9000/– की राशि कल्याण निधि से निकालकर चालान संख्या 33 दिनांक 4.8.15 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिया गया) |
| 7 | पैरा–7 (2) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–8 | निर्णीत | (ब्याज की प्रविष्टियां रोकड़ बही में कर दी गई थी) |
| 9 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–10 | अनिर्णीत | |

## भाग–दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षणः–

संस्थान के छात्र कल्याण निधि लेखों अवधि 4/2011 से 3/2015 तक का अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 23.7.15 से 30.7.15 तक के दौरान सम्पन्न किया गया। विस्तृत जांच के लिए आय–व्यय के लिए

निम्न पदों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैः–

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2011–12 | 7/2011 | 2/2012 |
| 2012–13 | 7/2012 | 3/2013 |
| 2013–14 | 9/2013 | 3/2014 |
| 2014–15 | 7/2014 | 10/2014 |

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य कियाः–

| क्र0सं0 | प्रधानाचार्य का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री मोहिन्द्र सिंह | 1.12.10 से 30.9.11 |
| 2 | श्री जी0डी0 शर्मा | 1.10.11 से 30.4.13 |
| 3 | श्री रविन्द्र सिंह बनयाल | 6.5.13 से 31.3.15 |

## 3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्थान के निधि लेखों अवधि 4/2011 से 3/2015 तक के अंकेक्षण शुल्क ₹11000/– की गणना की गई। प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 99 दिनांक 30.7.15 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–171009 को भेजने का अनुरोध किया गया तदानुसार उनके द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 632445 दिनांक 30.7.15 द्वारा प्रेषित कर दी गई।

**4 वित्तीय स्थितिः–**

**(क)** संस्थान के छात्र कल्याण निधि लेखों अवधि 4/2011 से 3/2015 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है एवं इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" के पृष्ठ 1 से 4 तक किया गया हैः–

| वित्तीय वर्ष | प्रारम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | 1600738.77 | 286733 | 50911 | 193838277 | 267169 | 1671213.77 |
| 2012–13 | 1671213.77 | 294513 | 551978 | 2517704.77 | 125934 | 2391770.77 |
| 2013–14 | 2391770.77 | 607227 | 52964 | 3051961.77 | 80324 | 2971637.77 |
| 2014–15 | 2971637.77 | 589009 | 58108 | 3618754.77 | 604224 | 3014530.77 |

दिनांक 31.3.15 को रोकड़ बही एवं बैंकों में शेष की स्थिति निम्नलिखित हैः–'

| निधि का नाम | बैंक खाता संख्या | रोकड़ बही में शेष | बैंक में शेष | सावधि जमा | अन्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| S.W.F. | 551260–74959 | 550589.26 | 334117.26 | 2164712 | – |
| Building Fund | 76435 | 983673.25 | 212907.25 | 770766 | – |
| T & P | 76457 | 263952.20 | 213819.20 | 50133 | – |
| Water & Electricty | 650024–64548 | 321022 | 247682 | 73340 | – |
| Library | 551260–76413 | 85123.25 | 55277.25 | 29846 | – |
| Medical | 76399 | 305856.72 | 119992.72 | 185864 | – |
| Security | 76060 | 156319.77 | 75742.77 | 80577 | – |
| Provisional Certificate | 76424 | 37788.61 | 37788.61 | – | – |
| Examination | 76446 | 253888.44 | 141966.44 | 111922 | – |
| Identity Card | 76388 | 56317.27 | 24340.27 | 31977 | – |
| | **कुल** | **3014530.77** | **1463633.77** | **1550897** | **–** |

(ख) निवेशः–

| Sr. No. | Name of fund | FDR No. | Intersted Amount | Date of Investment | Matunly Amount | Date of Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.W.F. | 543992 | 172469 | 13.2.13 | 223660 | 14.2.16 |
| 2 | -do- | 605437 | 44003 | 21.1.13 | 67832 | 21.1.18 |
| 3 | Building Fund | 543986 | 632697 | 13.2.13 | 820490 | 14.2.16 |
| | -do- | 543987 | 61929 | 13.2.13 | 80310 | 14.2.16 |
| | -do- | 605438 | 76140 | 21.1.13 | 117373 | 21.1.18 |
| 4 | T & P | 605435 | 30456 | 21.1.13 | 46969 | 21.1.18 |
| | -do- | 543991 | 19677 | 15.2.15 | 21472 | 16.2.16 |
| 5 | Water & Electricity | 605436 | 73340 | 21.1.13 | 113057 | 21.1.18 |
| 6 | Library | 543988 | 19186 | 13.2.13 | 24881 | 13.2.16 |
| 7 | -do- | 605439 | 10660 | 21.1.13 | 16433 | 21.1.18 |
| 8 | Medical | 543989 | 156790 | 13.2.13 | 223327 | 14.2.16 |
| 9 | -do- | 605454 | 29074 | 5.2.13 | 44819 | 5.2.18 |
| 10 | Security | 543994 | 80577 | 15.2.15 | 87926 | 16.2.16 |
| 11 | Examination | 543990 | 111922 | 13.2.13 | 145142 | 13.2.16 |
| 12 | Identity | 543993 | 31977 | 13-2-13 | 41468 | 13-2-16 |
| | | | **1550897** | | | |

## (ग) निवेश का रजिस्टर तैयार न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि उक्त समस्त सावधि जमा की प्रविष्टियां निवेश रजिस्टर में नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे इनके दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः समस्त सावधि जमा में निवेशित राशि की प्रविष्टियां निवेश रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

## 5 बैंक द्वारा सावधि जमा से TDS के रूप में ₹31914/–की कटौती करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि बैंक द्वारा संस्थान की सावधि जमा के रूप में निवेशित राशि के नवीनीकरण के दौरान TDS के रूप में कटौतियां की गई थी लेकिन संस्थान के

अधिकारियों द्वारा इस बारे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिस कारण संस्थान को TDS के रूप में ₹31914/– का हानि हुई। अतः बैंक से इस बारे मामला उठाकर इस कटौती की राशि को पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की कटौतियों पर यथासमय कार्यवाही करके कटौती की राशि को संस्थान के खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाये। TDS की कटौती का विवरण निम्नलिखित हैः–'

| क्र0सं0 | निधि का नाम | सावधि जमा संख्या(S.B.P.) | परिपक्वता की तिथि | परिपक्वता की राशि | नवीनीकरण की तिथि | नवीनीकरण की राशि | TDS की कटौती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.W.F. | 543992 | 13.2.13 | 176858 | 13.2.13 | 172469 | 4389 |
| 2 | S.W.F. | 605437 | 21.1.13 | 45684 | 21.1.13 | 44003 | 1681 |
| 3 | Development | 543986 | 13.2.13 | 648795 | 13.2.13 | 632697 | 16098 |
| 4 | -do- | 543987 | 13.2.13 | 63504 | 13.2.13 | 61929 | 1575 |
| 5 | Water & Electricity | 605436 | 21.1.13 | 76140 | 21.1.13 | 73340 | 2800 |
| 6 | Medical | 605454 | 5.2.13 | 30456 | 5.2.13 | 29074 | 1382 |
| 7 | -do- | 543989 | 13.2.13 | 160779 | 13.2.13 | 156790 | 3989 |
| | | | | **T.D.S के रूप में कुल कटौती** | | | **31914** |

अतः उपरोक्त विषय पर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**6 रोकड़ बहियाँ नियमों के अनुसार तैयार न करनाः–**

जांच में पाया कि विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़ बहियां (Cash books) HPFR-1971 Vol-1 के लिए 2.2 के अनुसार तैयार नहीं की गई थी अर्थात महीने के अन्त में रोकड़ बही में शेष राशि एवं प्रविष्टियों को नियमित रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही माह के अन्त में बैंक के शेष से रोकड़ बही के शेष का मिलान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में नियमों के अनुसार ही रोकड़ बहियां तैयार करना सुनिश्चित करें।

**7 छात्र कल्याण निधि के रूप में ₹2450/– वसूली गई राशि को जमा न करवानाः–**

जांच में पाया कि दिनांक 3.8.11 को छात्रों से छात्र कल्याण निधि के रूप में ₹2450/– वसूल किए गये थे जोकि प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–99 पर दर्ज

किए गये थे लेंकिन यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा नहीं करवाई गई थी एवं ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि का दुरूपयोग किया गया था। अतः इस राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी प्रतिपूर्ति चूककर्ता से दण्ड ब्याज सहित करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**8 विभिन्न निधि खातों में ₹3650/– कम जमा करवानाः–**

चयनित माह की आय की जांच में पाया कि दिनांक 5.7.14 से 8.7.14 तक रसीद संख्या 5843 से 5900, 6001 से 6014 एवं 6018 (73 नं0 रसीदें) के अन्तर्गत विभिन्न निधियों के रूप से ₹162425/– वसूल किए गये थे एवं इसकी प्रविष्टियां प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 2 से 5 पर दर्ज की गई है जबकि दिनांक 8.7.14 को विभिन्न निधि खातों में केवल ₹158775/– ही जमा करवाये गये थे जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्र0सं0 | निधि का नाम | विद्यार्थियों की सं0 | दरें (inrs) | एकत्रित राशि | जमा की दिनांक | जमा राशि | कम जमा राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T & P | 73 | 100 | 7300 | 8.7.14 | 7100 | 200 |
| 2 | Building & Dev. | 73 | 250 | 18250 | 8.7.14 | 17750 | 500 |
| 3 | Water & Elect. | 73 | 250 | 18250 | 8.7.14 | 17750 | 500 |
| 4 | Libarary | 73 | 50 | 3650 | 8.7.14 | 3550 | 100 |
| 5 | Medical | 73 | 100 | 7300 | 8.7.14 | 7100 | 200 |
| 6 | Inst. Security | 73 | 500 | 36500 | 8.7.14 | 35500 | 1000 |
| 7 | Examintation | 73 | 100 | 7300 | 8.7.14 | 7100 | 200 |
| 8 | P. Certificate | 73 | 100 | 7300 | 8.7.14 | 7100 | 200 |
| 9 | I.Card | 73 | 50 | 3650 | 8.7.14 | 3550 | 100 |
| 10 | S.W.F. Computer &Lic. | 73 | 725 | 52925 | 8.7.14 | 52275 | 650 |
| | | **कुल राशि** | | **162425** | | **158775** | **3650** |

इस प्रकार ₹3650/–विभिन्न निधि खातों में कम जमा करवाये गये थे जोकि एक गम्भीर आपत्ति है। अतः उक्त वर्णित राशि विभिन्न निधि खातों में कम जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अविलम्ब ₹3650/– की प्रतिपूर्ति चूककर्ता से दण्ड ब्याज सहित करके सम्बन्धित निधि खातों में जमा करवाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**9 ₹2400/–को राजकीय कोष में जमा न करने बारेः–**

जांच में पाया कि दिनांक 6.9.13 को रसीद संख्या 5695 के अन्तर्गत फीस व निधियों के रूप में विद्यार्थियों से ₹5300/– वसूल किये गये थे (टयूशन शुल्क ₹2400/– सहित) लेकिन प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 108 पर केवल ₹2900/–की ही प्रविष्टि की गई थी व टयूशन शुल्क ₹2400/–की प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही इस राशि को राजकीय कोष में जमा सम्बन्धित चालान अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया गया, जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है एवं इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः टयुशन शुल्क के रूप में प्राप्त ₹2400/– को राजकीय कोष में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इसकी क्षतिपूर्ति दण्ड ब्याज सहित चूककर्ता से करके वापिस राजकीय कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**10 रसीद बुकों का रख–रखाव स्टॉक रजिस्टर में न करने बारेः–**

जांच के दौरान पाया कि अवधि 4/2011 से 3/2015 तक रसीद बुकों से सम्बन्धित रख–रखाव भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जिसके परिणामस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता व पारदर्शिता के अभाव को दर्शाता है। अतः नियमों के विपरीत एवं बार–2 अंकेक्षण में आपत्ति दर्ज करने एवं सुझाव देने के उपरान्त भी रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब उक्त अवधि में प्रयोग की गई एवं शेष रसीद बुकों का रख रखाव भण्डार रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

**11 रसीद संख्या 3401 से 5000/– तक की रसीदें जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारेः–**

जांच में पाया कि अवधि 4/2011 से 3/2015 तक रसीद संख्या 3201 से 6100 तक के क्रय को प्रयोग में लाया गया था लेकिन प्रतिदिन निधि प्राप्ति रजिस्टर की जांच में पाया

गया कि रसीद संख्या 3401 से 5000 तक की क्रम की रसीदें दर्ज नहीं थी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर भी उक्त रसीद बुकें जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः रसीद संख्या 3401 से 5000 तक की रसीदें जांच हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वांछित अभिलेख यथाशीघ्र ढूंढ़कर आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

**12 अनुपस्थिति जुर्माने के रूप में वसूली राशि ₹4385/– को जमा न करने बारेः–**

विभिन्न विषयों के हाजिरी रजिस्टरों की जांच में पाया कि ₹4385/– अनपुस्थिति जुर्माने के रूप में वसूल किए गये थे जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

| माह | जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि | विषय का नाम |
|---|---|---|
| 8/2011 | 215 | SOT (Emb.) |
| 9/2011 | 260 | -do- |
| 10/2011 | 335 | -do- |
| 4/2011 | 355 | Mech. Electronics |
| 5/2011 | 730 | -do- |
| 6/2011 | 980 | -do- |
| 7/2011 | 830 | -do- |
| 8/2011 | 330 | -do- |
| 9/2011 | 350 | -do- |
| **कुल योग** | **4385** | |

उक्त वर्णित राशि के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाये कि यह राशि कब व किस निधि खाते में जमा करवाई गई थी अन्यथा इसकी प्रतिपूर्ति चूककर्ता से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**13 विभिन्न निधियों के रूप में ₹106139/– की कम वसूली करने बारेः–**

अंकेक्षणाधीन अवधि में प्राप्त आय की जांच करने पर पाया कि संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों के रूप में ₹106139/– की कम वसूलियां की थी जिसकी

सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97 दिनांक 27.7.15 द्वारा प्रधानाचार्य को दी गई थी लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः निधियों की कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इनकी वसूलियां उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्बन्धित निधि खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। कम वसूली गई छात्र निधियों का विवरण निम्नलिखित हैः–

| **Year** | **Fund** | **Enrollment** | **Rate (P.A.)** | **Amount to be collected** | **Actual Collection** | **Short Collection** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Water & Electricity | 68 | 500 | 34000 | 24250 | 9750 |
| | Library | 68 | 50 | 3400 | 2425 | 975 |
| | Medical | 68 | 200 | 13600 | 12009 | 1591 |
| | Security | 68 | 500 | 34000 | 23500 | 10500 |
| | P.Certificate | 68 | 60 | 4080 | 2820 | 1260 |
| | Exam. | 68 | 200 | 13600 | 9700 | 3900 |
| | I.Card | 68 | 50 | 3400 | 2425 | 975 |
| | Lic. | 68 | 100 | 6800 | 0 | 6800 |
| 2012-13 | LIC | 69 | 100 | 6900 | 0 | 6900 |
| 2013-14 | Building | 70 | 500 | 35000 | 26412 | 8588 |
| | Water & Electricity | 70 | 500 | 3500 | 22000 | 13000 |
| | Library | 70 | 50 | 3500 | 2200 | 1300 |
| | Medical | 70 | 200 | 14000 | 8800 | 5200 |
| | Security | 70 | 500 | 35000 | 25000 | 10000 |
| | P.Certificate | 70 | 60 | 4200 | 3000 | 1200 |
| | Exam. | 70 | 200 | 14000 | 8800 | 5200 |
| | I.Card | 70 | 50 | 3500 | 2500 | 1000 |
| | Lic | 70 | 100 | 7000 | 0 | 7000 |
| 2014-15 | Lic | 110 | 100 | 11000 | 0 | 11000 |
| | | | | **कुल कम वसूली गई राशि** | | **106139** |

**14 कम्पयूटर फीस के रूप में ₹115000/– की कम वसूली करने बारेः–**

अंकेक्षणाधीन अवधि में कम्पयूटर फीस से प्राप्त आय की जांच में पाया कि कम्पयूटर फीस का बैंक में कोई भी खाता नहीं खोला गया था और न ही रोकड़ बही में इस निधि से प्राप्त आय का रख–रखाव किया गया था। अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97 दिनांक 27.7.15 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या ITT (HRMR/SWF/Audit/2015/1526 दिनांक 5.8.15 अंकेक्षण को सूचित किया कि निम्नविवरणानुसार कम्पयूटर फण्ड की राशि अन्य निधि खातों में जमा करवाई गई थी जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी।

| Year | Fund | Enrollment | Rate (P.A) | Amount to be Collected | Actual Collection & Deposit | Short Collection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Computer | 68 | 1000 | 68000 | 47000 diposit in T & P Fund on Oct/2011 | 21000 |
| 2012-13 | Computer | 69 | 1000 | 69000 | 38000 in 7/2012 & deposit in T & P Fund 12000/- in 09/2012 & deposit in T&P Fund 20000/- in 8/2012 & deposit in Library Fund | - |
| 2013-14 | Computer | 70 | 1000 | 70000 | - | 70000 |
| 2014-15 | Computer | 110 | 1200 | 132000 | ₹43800/- in 7/2014 & deposit in S.W.F ₹64200/- in 2/2015 & deposit in Building Fund | 24000 |
| | | | | अन्य निधि खातों में जमा राशि | 225000 | – |
| | | | | कम वसूली गई राशि | | 115000 |

अतः कम्पयूटर फण्ड की राशि अन्य फण्डों में जमा करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त वर्णित अन्य फण्डों में जमा राशि को तुरन्त निकालकर कम्पयूटर फण्ड के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं ₹115000/– की कम्पयूटर फण्ड के रूप में विद्यार्थियों से कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इनकी वसूलियां उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

**15 ₹35000/– की राशि के जमा करने सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–**

जांच में पाया कि रसीद संख्या 5603 से 5627 दिनांक 6.7.2013 द्वारा S.O.T. के 25 विद्यार्थियों से ₹3910/– प्रति विद्यार्थी की दर से कुल ₹97750/– की वसूलियां विभिन्न निधियों के रूप में की गई थी लेकिन इस राशि को सम्बन्धित निधि खातों में जमा नहीं करवाया गया था जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98 दिनांक 28.7.15 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या ITI (Audit) 2015/1272 दिनांक 29.7.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त वर्णित समस्त रसीदों को रदद करके रसीद संख्या 5628 से 5652 की नई रसीदें ₹2510/– प्रति रसीद जारी की गई थी एवं प्राप्त राशि सम्बन्धित निधि खातों में जमा कर दी गई थी, इसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। परन्तु रदद रसीदों द्वारा ₹3910/– प्रति विद्यार्थी की दर से छात्र निधियों की वसूलियां की गई थी जबकि नई रसीदें केवल ₹2510/– प्रति विद्यार्थी जारी की गई थी। इस प्रकार ₹1400/–प्रति विद्यार्थी (3910–2510) की दर से कुल ₹35000/–की वसूली गई राशि को जमा करने सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग किया गया था। अतः ₹35000/– की वसूली गई छात्र निधियों को सम्बन्धित निधि खातों में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खातों में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

**16 ₹21800/– बीमा प्रीमियम के रूप में वसूली गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज किए बगैर सीधे ही भुगतान करने बारेः–**

जांच में पाया कि वर्ष 2014–15 में संस्थान में अध्ययनरत विभिन्न विषयों के कुल 218 विद्यार्थियों (Free Seats+Paid Seats) से ₹100/– प्रति विद्यार्थी की दर से कुल

₹21800/–वसूल किए थे एवं दिनांक 15.10.2014 को रसीद संख्या 110803/81/14/000000043 के अन्तर्गत ₹21800/– बीमा प्रीमियम के रूप में जमा करवाये गये थे। लेकिन इस वसूल की गई राशि का रख–रखाव रोकड़ बही में नहीं किया गया था एवं न ही इस निधि का बैंक में खाता खोला गया था। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमों के विपरीत बीमें (LIC) के रूप में विद्यार्थियों से वसूल की गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज किए बगैर सीधे ही जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब इस निधि से सम्बन्धित रोकड़ बही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि वसूल की गई राशि व जमा करवाई गई राशि में पारदर्शिता सम्भव हो सके। अतः अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**17 राजकीय कोष में जमा राशि से सम्बन्धित चालान प्रस्तुत न करने बारेः–**

वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों से फीस के रूप में एकत्रित राशि को राजकीय कोष में जमा करने सम्बन्धित चालान अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे एवं न ही चालान रजिस्टर का निर्माण किया गया था। जिसके अभाव में उक्त अवधि में राजकीय कोष में जमा राशि की जांच नहीं की जा सकी। अतः चालान रजिस्टर तुरन्त तैयार करके सभी चालानों की प्रविष्टियों उसमें करना सुनिश्चित करें एवं आगामी अंकेक्षण में उक्त वर्णित अवधि में राजकीय कोष में जमा राशि से सम्बन्धित समस्त चालान जांच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

**18 व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–**

चयनित माहों में किए गए व्ययों की जांच में पाया कि विभिन्न निधियों से राशि व्यय के रूप में दर्शाई गई थी लेकिन इन व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में व्ययों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः निम्नलिखित व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

| क्र0सं0 | माह | निधि का नाम | भुगतान का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2011 | S.W.F. | Paid to Sh. Punjab Singh (Sr. Asstt.) 04 05.04.11 | 4200 |
| 2 | 2/2012 | S.W.F | Paid vide Ch. No.<br>(1) Ch. No. 811098 ₹3948<br>(2)Ch. No. 811099 ₹9360 | 13308 |
| 3 | 3/2013 | Building Fund | Paid to Sh. Rajeev Kumar for work shop etc. | 18000 |

## 19 छात्र निधियों से ₹14784/– का अनुचित भुगतानः–

चयनित माह के व्ययों की जांच में पाया कि बिजली के बिलों का भुगतान छात्र कल्याण निधियों से किया गया था जोकि छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। बिजली के बिलों का विवरण निम्नलिखित हैः–

| माह | निधि का नाम | भुगतान का विरण | राशि |
|---|---|---|---|
| 3/2014 | S.W.F. | Bill No. 111233633020 dated 10.3.14 | 8781 |
| -do- | S.W.F. | Bill No. 111233405063 Dt. 10.3.14 | 4327 |
| -do- | S.W.F. | Bill No. 111233405062 Dt. 10.3.14 | 1676 |
| | | **Total** | **14784** |

अतः चयनित माहों के अतिरिक्त अन्य माहों में किए गये इस प्रकार के व्ययों की गणना अपने स्त्तर पर करके उनकी प्रतिपूर्ति भी उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

## 20 ₹20000/–की प्रतिपूर्ति IMC फण्ड से न करने बारेः–

जांच में पाया कि माह 10/2014 में छात्र कल्याण निधि से दिनांक 15.10.2014 को ₹35000/–का अग्रिम भुगतान श्रीमती रानी देवी (H.C.M.) को फर्नीचर एवं बिजली इत्यादि की मुरम्मत हेतु इस शर्त पर किया गया था कि इसकी प्रतिपूर्ति IMC फण्ड से की जाएगी। लेकिन उक्त कुल राशि ₹35000/– में से केवल ₹15000/–की प्रतिपूर्ति करके दिनांक 11.5.2015 को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया था। अतः ₹20000/–की प्रतिपूर्ति न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं शीघ्र इस राशि की प्रतिपूर्ति करके छात्र कल्याण निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि राशि का प्रयोग छात्र कल्याण कार्यों हेतु किया जा सके।

## 21 ₹774/– की राशि विकास निधि में जमा न करने बारेः–

जांच में पाया कि माह 03/2013 में श्रीमती लता शर्मा को विकास निधि से ₹18500/– का अग्रिम भुगतान किया गया था जिसके समायोजित वाउचरों की जांच में पाया कि ₹17726/– की राशि आई0टी0आई0 रैल (नादौन) में दिनांक 3.5.13 को आयोजित खेल प्रतिर्स्पधाओं में विभिन्न प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया था एवं शेष ₹774/– सम्बन्धित निधि खाते में जमा दर्शाई गई थी लेकिन इसके जमा से सम्बन्धित अभिलेख/प्रविष्टियां अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी जिससे इस राशि के जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में ₹774/– के विकास निधि में जमा सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

**22 नियमों के अनुसार व्ययों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव न रखने बारेः–**

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 Vol-1 के नियम 2.20 एवं 2.21 के अनुसार प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों पर एक वाउचर संख्या अंकित करना अनिवार्य है एवं इसका सन्दर्भ रोकड़ बही में भी देना अनिवार्य है जिससे व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तुरन्त उपलब्ध किए जा सके परन्तु जांच में पाया कि संस्थान द्वारा व्ययों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव अस्त व्यस्त तरीके से किया गया था जिससे अंकेक्षण के दौरान छात्र निधियों से किए गये व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार Vouching System को अपनाया जाये।

**23 भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करनाः–**

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान एवं इससे पूर्व की अवधि में भण्डार में पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि यह प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए तथा भविष्य में यह प्रक्रिया हर वर्ष अपनाई जानी सुनिश्चित की जाये।

**24 लघु आपत्ति विवरणिकाः–** छोटी–2 आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर दिया गया।

**25 निष्कर्षः–** संस्था के निधि लेखाओं के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) (XI)(vi) 68/89Vol-II-8053–8055 दिनांक, 28.12.2015 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेंश सरकार शिमला–171002

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा सुन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0प्र0)। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5, 7 से 16 तक विशेष ध्यानार्थ एवं तदानुसार निर्देश जारी करने हेतु।

**पंजीकृत** 3 प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेंदन के जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / –

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.